



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032023-244602  
CG-DL-E-22032023-244602

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1336]  
No. 1336]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2023/चैत्र 1, 1945  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2023/CHAITRA 1, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 22 मार्च, 2023  
सं. 61/2015-2020

विषय: आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) में यूरिया [एक्विजम कोड 31021000] की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

का.आ. 1389(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 31 के यूरिया [एक्विजम कोड 31021000] की नीतिगत शर्त में तत्काल प्रभाव से, निम्नानुसार संशोधन करती है (संशोधनों को मोटे अक्षरों में दिया गया है):

एक्विजम कोड	मद विवरण	नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
31021000	यूरिया, जलीय घोल में हो या नहीं हो	राज्य व्यापार उद्यम	विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 2.20 के अध्याधीन आरसीएफ और एनएफएल के माध्यम से आयात अनुमत है। इसके अलावा, यूरिया का आयात 31.03.2023 तक	विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 2.20 के अध्याधीन आरसीएफ और एनएफएल के माध्यम से आयात अनुमत है। इसके अलावा, यूरिया का आयात 31.03.2024 तक की अवधि के लिए

		<p>की अवधि के लिए आईपीएल के माध्यम से भी अनुमत है।</p> <p>सरकारी खाते में यूरिया के आयात (कृषि प्रयोजन के लिए) की अनुमति या तो नामित एसटीई द्वारा स्वयं या किसी भी इकाई/इकाईयों (उर्वरक विपणन इकाईयों) के माध्यम से दी जाएगी, जो भारतीय पत्तनों पर प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर उर्वरक विभाग द्वारा प्राधिकृत की जाती हैं।</p> <p>तथापि, गैर कृषि प्रयोजन/ औद्योगिक उपयोग/एनपीके के विनिर्माण के प्रयोजन हेतु तकनीकी ग्रेड यूरिया (टीजीयू) का आयात "मुक्त" होगा।</p>	<p>आईपीएल के माध्यम से भी अनुमत है।</p> <p>सरकारी खाते में यूरिया के आयात (कृषि प्रयोजन के लिए) की अनुमति या तो नामित एसटीई द्वारा स्वयं या किसी भी इकाई/इकाईयों (उर्वरक विपणन इकाईयों) के माध्यम से दी जाएगी, जो भारतीय पत्तनों पर प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर उर्वरक विभाग द्वारा प्राधिकृत की जाती हैं।</p> <p>तथापि, गैर कृषि प्रयोजन/ औद्योगिक उपयोग/एनपीके के विनिर्माण के प्रयोजन हेतु तकनीकी ग्रेड यूरिया (टीजीयू) का आयात "मुक्त" होगा।</p>
--	--	---	--

## 2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

सरकारी खाते में यूरिया (कृषि ग्रेड) के आयात को इंडिया पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के माध्यम से विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.20 के अध्याधीन दिनांक **31.03.2024 तक** अनुमत किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है

[फा. सं. 01/89/180/102/एम-02/पीसी-2(क) पार्ट-II/ई-1715]

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2023

**No. 61 /2015-2020**

**Subject: Amendment in import policy condition of Urea [Exim Code 31021000] in the ITC (HS) 2022, Schedule – I (Import Policy).**

**S.O. 1389(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy condition of Urea [EXIM code 31021000] of Chapter 31 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy), with immediate effect, as under (**changes made are given in bold letters**):

Exim Code	Item Description	Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
31021000	Urea, whether or not in aqueous solution	State Trading Enterprise	Import allowed through RCF and NFL subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy, 2015-2020. In addition import of Urea is also allowed through IPL for a period up to 31.3.2023.	Import allowed through RCF and NFL subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy, 2015-2020. In addition import of Urea is also allowed through IPL for a period up to <b>31.03.2024.</b>

			<p>Import of Urea (for agriculture purpose) on Government Account shall be allowed either by designated STEs itself, or through any entity/entities (Fertilizer Marketing Entities) so authorized by the Department of Fertilizer from time to time, for filing BEs at Indian ports.</p> <p>However, import of Technical Grade Urea (TGU) meant for non-agricultural purpose/ industrial use/ NPK Manufacturing shall be "Free".</p>	<p>Import of Urea (for agriculture purpose) on Government Account shall be allowed either by designated STEs itself, or through any entity/entities (Fertilizer Marketing Entities) so authorized by the Department of Fertilizer from time to time, for filing BEs at Indian ports.</p> <p>However, import of Technical Grade Urea (TGU) meant for non-agricultural purpose/ industrial use/ NPK Manufacturing shall be "Free".</p>
--	--	--	--	--

## 2. **Effect of this Notification:**

Import of Urea (Agricultural grade) on Government account is allowed through Indian Potash Limited (IPL) subject to Para 2.20 of Foreign Trade Policy, 2015-2020, **till 31.03.2024**.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/102/AM-02/PC-2(A)Part-II/E-1715]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.